बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 96

बदलाव या यथास्थिति ?

चुनाव समाप्त हो गए हैं और अब वक्त है नतीजों का विश्लेषण करने का। कहा जा रहा है कि लोगों ने बुर्जुआवाद के खिलाफ मतदान किया है और मोदी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों ने अपना समर्थन जताते हुए अपनी आकांक्षाओं को वोट के रूप में प्रकट किया है। यह भी कहा गया कि यह उन लोगों की जीत है जिनकी सांस्कृतिक जड़ें गहरी हैं जबकि उथले लोगों की हार हुई है। हो सकता है ये सब सच हों लेकिन बुनियादी बदलाव की इस कथा में यह देखना जानकारीपरक होगा कि विजेता किसे निशाना बनाते हैं और किसे नहीं ?

हम वाम बनाम दक्षिण की बहस को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। वाम जड़ से उखड़ चुका है और इसकी जगह लेने का कोई गंभीर बाजारोन्मुखी प्रयास भी नहीं हो रहा। बल्कि कमजोर प्रदर्शन वाले, असमान तंत्र पर काबिज लोग पराजितों को और अधिक कल्याण योजनाओं की मदद से मनाना चाहते हैं। नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों की संपत्ति का माध्य 5 करोड़ रुपये है। उनकी औसत संपत्ति 20.9 करोड़ रुपये है। चुने गए नेताओं में से अधिकांश सबसे अमीर 0.1 फीसदी तबके से ताल्लुक रखते हैं। इन संपन्न लोगों की दृष्टि से देखें तो धर्म के आधार पर लोगों की लामबंदी के साथ लोक कल्याण का मिश्रण तात्कालिक बदलाव को अंजाम देता है, न कि ढांचागत।

सामंतवाद और वंशवाद का क्या: नामदार बनाम कामदार ? यह जुमला नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी के कारण चल निकला लेकिन वरुण गांधी भी तो हैं, हरसिमरत कौर (घोषित परिसंपत्ति: 40 करोड़ रुपये), दुष्यंत सिंह (पता: सिटी पैलेस धौलपुर), राजकुमारी दियाकुमारी (पता: सिटी पैलेस जयपुर) और तमाम अन्य लोग जो सत्ताधारी गठबंधन की ओर से जीतने में सफल रहे हैं।

सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो आकांक्षी कामदार का विचार कारोबार तक जाता है जहां हजारों स्टार्टअप का उत्सव है। नया भारत तंग श्याओ फिंग की तरह इस बात पर यकीन करता है कि अमीर होना अच्छा है। यही कारण है कि नोटबंदी के बाद भी कारोबारी, मोदी के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। जिन नामदारों को निशाना बनाया जाना है वे केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं। माल्या और नीरव मोदी जैसे दूर बैठे लक्ष्य भी सुरक्षित निशाना हैं।

इसका क्या अर्थ हुआ ? दरअसल बदलाव की बातों के बीच भी हम अत्यंत रूढ़िवादी अंदाज में यथास्थिति के शिकार हैं। महत्त्वपूर्ण बदलाव लुटियन की दिल्ली में रहने वालों के नए अवतार के लिए आरक्षित हैं। यह नया अवतार खान मार्केट गैंग का है। यह जुमला भी उन सांसदों के लिए था जो संसद की साधारण कैंटीन के बजाय महंगे रेस्तरां में बैठना पसंद करते हैं। परंतु नरेंद्र मोदी ने इसका इस्तेमाल उपनिवेशवाद के बाद की ऐसी पीढ़ी के लिए कर दिया जो नेहरू-गांधी के युग में फलीफूली। तब आरएसएस के एक विचारक ने कहा था कि मीडिया, संस्कृति और अकादमी से इस गैंग को खत्म किया जाएगा।

खुद ब खुद खत्म हो रहा यह समूह जो लड़ाई के लिए तैयार तक नहीं है, वह इतना महत्त्वपूर्ण क्यों है ? क्योंकि यह अभी भी भारत के पुराने विचार की बात करता है। यह विभिन्न प्रकार की आस्थाओं और मान्यताओं की रक्षा करने वाली ऐसी सहिष्णु सभ्यता की बात करता है जो कमजोरों की रक्षा करना चाहती है, न कि मजबूती का जश्न मनाना। इस भावना को नष्ट किया जाना है। साथ ही अंग्रेजों के यहां पढ़े बैरिस्टरों द्वारा बनाए संविधान और उनके द्वारा थोपी औपनिवेशिक व्यवस्था को इस्लाम और उपनिवेश काल के पहले की देसी व्यवस्था से बदलना होगा। बाबर की अवैध संतानें खुद पर हुए हमले के बाद खामोश हैं। मैकाले के परपोतों में से कुछ आर्थर कसलर की किताब डार्कनेस ऐट नून के जेल में बंद चरित्र रुबाशोव की तरह हो गए हैं जो अपने विरोधी विचार को खत्म करने को तैयार था और अपनी गलतियों की सार्वजनिक आलोचना करता था। सबसे बड़ी आशंका अप्रासंगिकता की है। दिल्ली में बिना किसी मकसद के रहना दांते के नर्क के छठे चरण में रहने जैसा है जो धर्म विरोधियों के लिए आरक्षित था। अगर मोदी की अप्रत्याशित लोकप्रियता, भारत में ताकतवर और रसूखदार के शासन की बुनियाद बन रही है (सिंगापुर की तरह हम नेताओं का मजाक उड़ाने वालों को जेल में डाल ही रहे हैं), आलोचना करने वालों को गाली देने वाले ट्रोल आड़े हाथ ले रहे हैं, देसी मिथकों और वैज्ञानिक तथ्यों में घालमेल और भ्रम हो रहा है, इतिहास की किताबों में आरएसएस का नजरिया पढ़ाया जा रहा है, मजबूत संस्थान राजनीति के सामने घुटने टेक रहे हैं। इन बातों के बीच जोखिम उत्पन्न हो गया है कि कहीं हम ऐसी गलती न कर बैठें जिससे बचा जा सकता था।

साप्ताहिक मंथन

टी. एन. नाइनन

बिनय सिन्हा

आर्थिक नीति को चाहिए अवधारणात्मक ढांचा

शासकीय संस्थान निर्माण की व्यावहारिक समस्याओं के अलावा हमें आर्थिक नीति को लेकर एक अवधारणात्मक ढांचे की भी आवश्यकता है। विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं **अजय शाह**

देश में आर्थिक नीति के अगले पांच वर्ष शुरू हो चुके हैं। ऐसे में शासकीय क्षमता का निर्माण करना आवश्यक है जहां विभिन्न संस्थान समस्याओं का पता लगाएं और जरूरी प्रतिक्रिया दें। इसके अलावा आर्थिक नीति का एक बौद्धिक ढांचा भी आवश्यक है। यह लंबी अवधि की योजना बनाने में सहायक सिद्ध होता है। राज्य का प्रभाव नियमों से बढ़ता है, न कि विशेषाधिकारों से। मौद्रिक नीति के क्षेत्र में हम ऐसा देख भी चुके हैं। ढांचे की मौजूदगी सरकार के विभिन्न असंबद्ध अंगों द्वारा उठाए जाने वाले व्यावहारिक कदमों में सामंजस्य कायम करने में सहायता करता है।

अब आर्थिक नीति का परिदृश्य पांच वर्ष का है। 2014 और 2015 की तरह यह लंबी अवधि की परियोजनाओं को प्रोत्साहन देगा। पिछली अवधि की तीन सबसे बड़ी उपलब्धियां थीं वस्तु एवं सेवा कर, मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाना और दिवालिया संहिता। इन तीनों की शुरुआत एकदम आरंभिक दौर में हो गई थी। उसी तर्ज पर कुछ अन्य बड़ी बदलावकारी परियोजनाओं की शुरुआत 2019-20 में होनी चाहिए।

देश में जो सबसे बड़े अवरोध हैं उनमें राज्य क्षमता सबसे बड़ा अवरोध है। एक आदर्श सरकारी ढांचा वह है जो रोज बदलती दुनिया की समझ रखता हो, उन समस्याओं के बारे में समझ रखता हो जो सामने आती हैं, मूलभूत हल को पहचान सकता हो, वैकल्पिक उपायों पर बहस-मुबाहिसा कर सर्वाधिक कम दबाव वाले विकल्प की तलाश कर सके और चुने गए उपाय का प्रभावी क्रियान्वयन कर सके। बात चाहे कर नीति की हो, कर प्रशासन की, खाद्य सुरक्षा की, वायु गुणवत्ता की या दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर की, बुनियादी चुनौती है ऐसी सांस्थानिक क्षमता की स्थापना करना।

वक्त का तकाजा है कि ऐसे तार्किक उपायों पर काम करने और समस्या निवारण करने में सक्षम संस्थान बनाने पर जोर दिया जाए। इसके अलावा एक और काम करने की आवश्यकता है: आर्थिक नीति को लेकर एक अवधारणात्मक ढांचा तैयार करना होगा। बाजार अर्थव्यवस्था में भारत सरकार की क्या भूमिका है ? किस प्रकार की संस्थागत मशीनरी निर्मित करने की आवश्यकता है ? समय के साथ इन संस्थानों और राज्य का जो हस्तक्षेप हुआ उनका लक्ष्य क्या होगा ? सन 1990 के दशक में जो कुछ किया जा रहा था, उसे लेकर स्पष्टता थी। तब से अब तक हालात बहुत बदल चुके हैं। ऐसे में नए ढांचे की आवश्यकता है।

यह कई स्तरों पर काम करता है। सबसे सहज तरीके से देखें तो यह आर्थिक नीति को लेकर दीर्घ लक्ष्य तय करता है। आंकड़े कमजोर होने पर नीति नियोजन को दिशा देता है। कई कदमों के राजनीतिक निहितार्थ से संचालित होने का जोखिम भी हमेशा रहता है। विशेषाधिकार के स्थान पर नियमों को तरजीह मिलनी चाहिए। सारे फैसले सरकार द्वारा लेने से उसका प्रभाव बढ़ता है, ऐसा विचार सही नहीं है। बानगी के तौर पर पुराने जमाने में मौद्रिक नीति विशेषाधिकार थी। केंद्रीय बैंक को जो ठीक लगता वह करता। परंतु अब वह अधिक प्रभावी हो गई है क्योंकि केंद्रीय बैंक के हाथ मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाने से बंधे हैं। अब आरबीआई खुदरा महंगाई को चार फीसदी रखने संबंधी कदम उठाता है। निजी तौर पर लोगों को पता है कि भविष्य में कुछ खास परिदृश्य में आरबीआई किस प्रकार काम करेगा। विशेषाधिकार समाप्त करने से मौद्रिक नीति की क्षमता में इजाफा हुआ है।

वृहद आर्थिक और वित्त क्षेत्र में मौद्रिक नीति ढांचा अच्छी स्थिति में है। अब आगे चुनौती मुद्रास्फीति के लक्ष्य पर मजबूती से टिके रहने की है। सन 1992-2011 में वित्तीय बाजारों और अंतरराष्ट्रीयकरण के बीच एक अवधारणात्मक खाका था। अब राजकोषीय और वित्तीय नीति के लिए तुलनात्मक नीतिगत ढांचे आवश्यक हैं। दूसरा बड़ा विचार है विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल। यह तालमेल तब बेहतर होगा जब एक साझा अवधारणात्मक ढांचा हो।

उदाहरण के लिए सन 1990 के दशक में सरकार की सभी शाखाओं को पता था कि हमारा देश वैश्विक संबद्धता से घबराता है। यह देश की औपनिवेशिक असुरक्षा की बदौलत था। तमाम नीतिगत निर्णय, सीमा शुल्क में कटौती से लेकर नाभिकीय समझौते तक सारे कदम इस तरह उठाए गए जिससे देश का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण हो सके। सरकार के कई तत्त्वों के कदम एक ही अवधारणात्मक खाके से उपजे थे। अगर सरकार के सभी अंग अलग-अलग निर्णय लेते तो हालात कहीं अधिक जटिल हो सकते थे।

एक निरंतरता भरे अवधारणात्मक ढांचे का तीसरा और सबसे अहम पहलू यह है कि वह निजी क्षेत्र की अपेक्षाओं को किस प्रकार आकार देता है। जब निजी कंपनियां निजी निवेश की लंबी अवधि की प्रतिबद्धता का आकलन करती हैं तो नीतिगत जोखिम प्रमुख चिंता का विषय होता है। अगर सरकारी संस्थानों को नीतिगत निर्णय लेने का विशेषाधिकार हो तो अनिश्चितता की आशंका अधिक रहती है। एक निरंतरता भरा अवधारणात्मक खाका अपने साथ सुसंगतता लाता है।

उदाहरण के लिए सन 1991 के बाद से निजी क्षेत्र को पता था कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और आयात के अवरोध कमजोर पड़ेंगे। कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ लेकिन साल दर साल ये अवरोध कम होते गए। इस अवधि में कोई नया अवरोध नहीं सामने आया। इस अवधारणा ने उन निजी कंपनियों को व्यापक तौर पर प्रभावित किया जिन्होंने 10 वर्ष की योजना बनाई थी। सन 1997 से 2004 के बीच कंपनियों को जो भारी उत्पादकता लाभ हुआ, उसका एक बड़ा कारण यह भी था।

इसी प्रकार कर नीति में लंबी अवधि की सोच आवश्यक है ताकि दीर्घावधि की निवेश योजनाएं आकार ले सकें। अगर कर नीति में हर वर्ष उतार चढ़ाव आएगा तो अनिश्चितता उत्पन्न होगी और निजी निवेश मुश्किल होगा। इस नजरिये से देखें तो सरकार के लिए 2019 में बेहतर होगा कि वह आने वाले पांच बजटों की रूपरेखा तैयार कर ले। भविष्य में कर नीति में बदलाव की ये प्रतिबद्धताएं निजी कंपनियों के लिए निश्चितता बढ़ाएंगी, जिसका सकारात्मक असर निवेश पर देखने को मिलेगा।

अंतिम तौर पर बात करें तो नीति निर्माताओं को समझदारी का परिचय देना होगा और रोजमर्रा की दिक्कतों को हल करने का प्रयास करना होगा। लेकिन इसके साथ-साथ आर्थिक नीति के मोर्चे पर समन्वय भी आवश्यक है। इसके लिए चुनिंदा बड़े विचारों पर काम करना होगा। इससे नीतिगत जोखिम कम होगा और तयशुदा लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में सहायता मिलेगी।

(लेखक नई दिल्ली स्थित नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी में प्रोफेसर हैं।)

संगीत में लाइसेंस की जंग से प्रकाशन, वीडियो उद्योग को लाभ

मीडिया मंत्र

वनिता कोहली-खांडेकर

संगीत उद्योग वृद्धि की राह पर अग्रसर है और उसे अपने राजस्व का आधे से अधिक हिस्सा डिजिटल से प्राप्त हो रहा है

क्या कंटेंट के लिए लाइसेंस लेना वैधानिक या स्वैच्छिक होना चाहिए ? यह सवाल इस साल मई में बंबई उच्च न्यायालय के फैसले से पैदा हुआ है। रमेश तौरानी की टिप्स इंडस्ट्रीज द्वारा एयरटेल के म्यूजिक ऐप विंक के खिलाफ दायर किए गए मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि विंक टिप्स की सहमति के बिना उसके संगीत को स्टोर या उसका उपयोग नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति एस जे कथावाला ने कहा कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 31डी इंटरनेट प्रसारण पर लागू नहीं होती है। इस धारा के दायरे में केवल रेडियो या टेलीविजन प्रसारण आता है। इसका मतलब है कि अगर कोई ओवर-दी-टॉप (ओटीटी) स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाता या म्यूजिक ऐप सारेगामा के संगीत का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे उससे (सारेगामा से) मंजूरी या लाइसेंस लेना होगा।

यह सामान्य फैसला होना चाहिए था। लेकिन इस सामान्य नियम के अपवाद के रूप में वर्ष 2012 में धारा 31डी बनाई गई ताकि म्यूजिक कंपनियों और संगीत के रेडियो/टीवी प्रसारकों के बीच वैधानिक लाइसेंस की व्यवस्था स्थापित की जा सके। इसका मकसद उन कलाकारों का संरक्षण था, जो संदिग्ध समझौतों पर हस्ताक्षर कर अपने अधिकार बेच दे रहे थे। इसलिए वर्तमान नियमों के तहत एक रेडियो स्टेशन अपने विज्ञापन राजस्व का दो फीसदी हिस्सा रॉयल्टी के रूप में चुकाकर टिप्स या टी-सीरीज या अन्य म्यूजिक कंपनी के संगीत का इस्तेमाल कर सकता है।

इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के अध्यक्ष एवं सीईओ ब्लाइज फर्नांडिस ने कहा, 'धारा 31डी उस समय लाई गई, जब प्रसारण रेडियो बुनियादी ढांचे की लागत और लाइसेंस फीस के बोझ तले दबा हुआ था। आज यह 3,000 करोड़ रुपये का उद्योग है, लेकिन रॉयल्टी के रूप में केवल 60 करोड़ रुपये का भुगतान करता है। यह रॉयल्टी म्यूजिक कंपनी, लेखकों, कंपोजरों और प्रकाशकों के बीच वितरित होती है। यह अप्रचलित और अप्रासंगिक है।'

उन्होंने कहा कि संगीत के लगभग हर बड़े बाजार-अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के ज्यादातर हिस्से, दक्षिण कोरिया आदि में इंटरेक्टिव सेवाओं के लिए संगीत का लाइसेंस स्वैच्छिक है। इनमें से बहुत से देशों में वैधानिक लाइसेंस की भी व्यवस्था है, लेकिन यह रेडियो जैसी लिनियर प्रसारण सेवाओं के लिए है। स्वैच्छिक लाइसेंसिंग का मतलब है कि खरीदार और विक्रेता बातचीत करते हैं और एक कीमत पर सहमति जताते हैं। यह एक प्रतिस्पर्धी बाजार है। भारत का 1,400 करोड़ रुपये का संगीत उद्योग अत्यधिक बिखरा और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है। दूसरी ओर यहां ऐसी कुछेक दूरसंचार कंपनियां हैं, जिनके पास खुद के संगीत ऐप हैं। भारती एयरटेल के पास विंक और जियो के पास सावन है। गाना भारत के सबसे बड़े मीडिया समूहों में से एक टाइम्स समूह का हिस्सा है। इनके अलावा ऐपल का आईट्यून्स और स्पॉटीफाई है। भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियां भी इन अरबों डॉलर की तकनीक, दूरसंचार या मीडिया कंपनियों के एक छोटे से हिस्से के बराबर हैं। यह खरीदारों का बाजार है। यह इस बात का सबूत है कि क्यों टिप्स और विंक के बीच एक नियमित सौदेबाजी अदालत तक पहुंच गई। इसमें असमानता एक और कारक जोड़ देती है।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने सितंबर, 2016 में कॉरीराइट पंजीयक को एक मेमो भेजा था। इसमें कहा गया था कि धारा 31डी के प्रावधान इंटरनेट प्रसारण पर भी लागू होते हैं। यह महज एक मेमो है, लेकिन इसने बहुत सी समस्याओं का पिटारा खोल दिया। ऐसा लग रहा था कि कोई भी ऐप रेडियो प्रसारकों की तरह कोई भी संगीत इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में अदालत यह कहने को आगे आई कि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं।

भारतीय संगीत उद्योग को करीब 70 फीसदी राजस्व डिजिटल या स्ट्रीमिंग/डाउनलोडेड म्यूजिक से प्राप्त होता है। डिजिटल विज्ञापन लगातार 28 फीसदी की ऊंची दर से बढ़ रहा है। हालांकि सबस्क्रिप्शन राजस्व भी इजाफा हो रहा है। खरीदार के बाजार में अगर इंटरेक्टिव सेवाओं को 2 फीसदी की वैधानिक लाइसेंस फीस पर मंजूरी दी जाती है तो संगीत के लिए डिजिटल वृद्धि का पूरा फायदा चला जाता है। पारदर्शिता के लिए या तो लाइसेंस स्वैच्छिक होना चाहिए या वैधानिक लाइसेंसिंग के तहत रॉयल्टी की दरें 2 फीसदी से बढ़ाकर 10 से 15 फीसदी की जाएं। वैधानिक बनाम स्वैच्छिक लाइसेंसिंग से संबंधित तर्क-वितर्कों के अलावा इसमें एक बड़ा बिंदु है। इंटरनेट से मीडिया में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सबसे पहले असर संगीत पर दिख रहा है। यह सबसे नाजुक मनोरंजन उत्पाद है, जो किसी भी बदलाव से सबसे पहले प्रभावित होता है। सबसे बड़ा बदलाव 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में कंप्रेशन तकनीक थी। उपभोक्ताओं को अपराधी करार देने से लेकर नैपस्टर जैसी फाइल साझा करने वाली कंपनियों पर मुकदमेबाजी तक के संगीत कारोबार के प्रत्येक प्रयोग से शेष मनोरंजन उद्योग ने अहम सबक सीखे हैं। वैश्विक संगीत उद्योग का राजस्व 1999 में 225 अरब डॉलर था। यह 2014 में घटकर 14.1 अरब डॉलर पर आ गया। हालांकि उसके बाद इसमें सुधार आया है। तब से यह उद्योग वृद्धि की राह पर अग्रसर है और उसे अपने राजस्व का आधे से अधिक हिस्सा डिजिटल से प्राप्त हो रहा है। भारत में ओटीटी सेवाओं से फिल्म एवं टेलीविजन उसी तरह के बदलाव के चरण में प्रवेश कर गए हैं, इसलिए संगीत क्षेत्र के घटनाक्रम को देखने से इसे समझने में मदद मिलेगी।

कानाफूसी

अधीनस्थ खबरदार!

मध्य प्रदेश के गुना जिले की उपजिलाधिकारी शिवानी गर्ग ने पिछले दिनों अपने कर्मचारियों को एक रोचक आदेश दिया। उन्होंने आधिकारिक व्हाट्सऐप समूह पर लिखा, 'सभी पटवारी, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार और तहसीलदार ध्यान दें। अगर किसी ने अवर जिलाधिकारी को शराब पिलाई या मुर्गा खिलाया तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। मैं आपके खिलाफ अपने वरिष्ठ अधिकारी को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप भी प्रस्तावित करूंगी।' यह संदेश वायरल होने के बाद उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि उक्त अधिकारी लगातार उनके अधीनस्थों से ऐसी मांग किया करते हैं। इससे परेशान कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा था। बहरहाल, प्रदेश शासन ने उक्त खबर सार्वजनिक होने के बाद अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया।

योग दिवस की थीम

केंद्र सरकार ने इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक नई थीम तैयार की है। सरकार इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहती है। आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी (आयुष) मंत्रालय ने इस अवसर पर जन जागरूकता बढ़ाने और लोगों को पर्यावरण के अनुकूल वस्तुएं इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने के वास्ते एक प्रपत्र तैयार किया है। इसमें मंत्रालयों से आग्रह किया गया है कि वे बाजार में जहां तहां बिक रही सस्ती पीवीसी मैट का इस्तेमाल नहीं करें। उसके मुताबिक इन मैट का पुनर्चक्रण संभव नहीं है और इनमें तमाम तरह के प्रदूषक तत्त्व शामिल हैं। उसने विभिन्न मंत्रालयों से यह भी कहा है कि वे जूट, रबर और अन्य उत्पादों से बनी मैट इस्तेमाल करें। मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न सरकारी संस्थाएं, योग संस्थान और योग शिक्षक भी इस बारे में जागरूकता फैलाने में सहायता कर सकते हैं।

आपका पक्ष

रिजर्व बैंक के सराहनीय कदम

रिजर्व बैंक ने रीपो दर में 25 आधार अंक की कटौती कर दी है। उसने इस साल तीसरी बार कटौती की है। इस तरह रीपो दर में कुल 75 आधार अंक की कटौती हुई है। यह वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। रिजर्व बैंक द्वारा रीपो दर घटाए जाने के बाद यह अब 5.75 प्रतिशत रह गई है। रिजर्व बैंक का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को लाभ देना है। यानी जिन ग्राहकों ने बैंकों से लंबी अवधि के लिए जैसे आवास ऋण या वाहन ऋण लिया है उनकी मासिक किस्त में कमी लाना है। लेकिन इसका फायदा ग्राहकों को तब ही मिल सकेगा जब ऋण देने वाला बैंक ग्राहकों के लिए ब्याज दर में इसी अनुपात में कटौती करेगा। कई बार देखा गया है कि रिजर्व बैंक दरों में कटौती तो करता है लेकिन इसका फायदा ग्राहकों को नहीं मिल पाता है। बैंक यह कहते हुए पल्ला झाड़ लेते हैं कि उनका एनपीए काफी अधिक है तथा इससे जो लाभ होगा इससे उसकी भरपाई की जाएगी। वहीं कुछ बैंक नए ग्राहकों को ही कम ब्याज दर का लाभ देते हैं। मौजूदा ग्राहकों को इसका लाभ नहीं देते हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक को उन बैंकों पर दबाव डालना चाहिए जो उचित दर पर ग्राहकों को ऋण नहीं दे रहे हैं या बैंकों द्वारा उनके ग्राहकों से ऊंची ब्याज दर वसूल रहे हैं। अगर सभी ग्राहकों को रिजर्व बैंक द्वारा घोषित ब्याज दर मिलने लगे तो ग्राहकों को फायदा तो होगा ही इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। हालांकि रिजर्व बैंक द्वारा घोषित ब्याज दर के अलावा 2 आधार अंक जोड़कर बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देता है। अर्थात अगर रिजर्व बैंक 6.4 प्रतिशत ब्याज दर पर बैंकों को ऋण दे रहा है तो बैंक अपने ग्राहकों से 6.6 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देता है।

किशोर कुमार, नोएडा

रिजर्व बैंक ने गुरुवार को रीपो दर में 25 आधार अंक की कटौती की है

मॉनसून में देरी से चौतरफा नुकसान

भारतीय मौसम विभाग और मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली निजी कंपनी स्काईमेट ने मॉनसून के आने में दो से चार दिन की देरी की आशंका व्यक्त की थी। सामान्यत: जून के पहले सप्ताह में मॉनसून केरल के तट पर दस्तक देता है। लेकिन दोनों ने 4 से 6 जून को मॉनसून के दस्तक देने की बात कही थी। लेकिन अबतक मॉनसून नहीं आया है। मॉनसून में देरी का असर सिर्फ कृषि पर ही नहीं बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। बारिश की कमी से देश के कई जगहों में सूखा पड़ गया है। सरकार सूखे से निपटने के लिए कार्ययोजना बनी रही है। अत: सरकार को ऐसी जल नीति बनानी चाहिए जिससे देश में पीने के पानी की किल्लत नहीं हो।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।